संख्या-51 /2025/961-22-4-2025-1538483

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कारागार मुख्यालय लखनऊ में टाईप-2 के 06 नग आवासों के निर्माण कार्य हेतु जी०एस०टी० की भिन्नता की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30679/नम-1/(P-1)2022-23, दिनांक 31.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-46/2025/721-22-4-2025-1538483,, दिनांक 14.10.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कारागार मुख्यालय में टाईप-2 के 06 नग आवासों के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित परियोजना लागत रू0 126.17 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कारागार मुख्यालय लखनऊ में टाईप-2 के 06 नग आवासों के निर्माण कार्य हेतु जी०एस०टी० की भिन्नता की धनराशि **रू0 5.67 लाख (रूपया पॉच लाख सरसठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-36/2023/76/001-22-4-2023-1538483, दिनांक 29-03-2023 एवं शासनादेश संख्या-75/2023/001-1076-22-4-2023-1766869 दिनांक 18.12.2023 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय -समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(5) विभाग द्वारा उपकरणों/सामग्री का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(6) किसी भी अनियमितता हेतु महानिरीक्षक कारागार / कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।

(7) जी0एस0टी0 की धनराशि गणना की शुद्धता का समस्त उत्तरदायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,67,000 (रुपये पाँच लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000700 कारागार मुख्यालय के भवन का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-51 /2025/961-22-4-2025-1538483, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।